"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2013—ज्येष्ठ 30, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-07/04/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 4 सहपठित नियम 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006" में संशोधन करते हुए, उक्त निर्देश की कंडिका क्रमांक 4 की उप-कंडिका (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

4 (अ) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय, जिन्हें रेत खदान आबंटित हैं तथा जो उन्हें आबंटित रेत खदान का संचालन "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006" के प्रावधानों के अनुरूप करने में असमर्थ रहते हैं या उनके द्वारा रेत खदान के संचालन में अनियमितता पाई जाती है और नियम विरुद्ध रेत का व्यवसाय करना पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिले का कलेक्टर, ऐसी रेत खदानों का संचालन, उनसे वापस लेते हुए, उसके संचालन की व्यवस्था निम्नानुसार कर सकेगा :—

क्रमांक (1)	पंचायत/नगरीय निकाय, जिनसे रेत खदान का संचालन वापस लिया जावेगा (2)	पंचायत/नगरीय निकाय, जिन्हें खदान का संचालन सौंपा जावेगा (3)
1.	ग्राम पंचायत	संबंधित जनपद पंचायत
2.	जनपद पंचायत	संबंधित जिला पंचायत

(1)	(2)	(3)
3.	नगर पंचायत	संबंधित जनपद पंचायत
4.	नगर पालिका	संबंधित जिला पंचायत

रेत खदानों से प्राप्त राजस्व, "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश 2006" की कंडिका 9 (क) (ख) के अनुसार रेत खदान संचालन हेतु विभिन्न मदों में किये गये व्यय की राशि को काटकर शेष राशि संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र में संबंधित रेत खदान अधिसूचित है/संचालित है, के खाते में जमा कराई जायेगी तथा इसकी सूचना सम्बन्धित पंचायत/नगरीय निकाय एवं कलेक्टर कार्यालय को 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आगामी वर्ष के अप्रैल माह की 30 तारीख तक प्रस्तुत की जायेगी.

रेत खदान संचालनकर्ता ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (20) (क), (ख) एवं (ग) के तहत मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित कलेक्टर कार्यालय को नियमों में विहित तारीख तक प्रस्तुत करेगा.

संबंधित कलेक्टर द्वारा पंचायत/नगरीय निकाय को आवंटित रेत खदान का संचालन वापस लेने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा. यदि कलेक्टर के आदेश से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय परिवेदित है, तो वह कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 57 के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा तथा यदि संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह नियम 58 के तहत पुनरीक्षण आवेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.